EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAM BHAI PATEL): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Indira Awaas Yojana (IAY) basically provides houses to the people of weaker sections such as Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the people below poverty line. In other words, the scheme provides houses to the poorest of the poor. The minimum need requirement is at least one roomed house. The present cost norm for the house in plain areas is Rs. 14,000 and in hilly and difficult areas Rs. 15,800 (including sanitary and infrastructure facilities). It is considered that with low cost technology using locally available materials and self-help by the beneficiary, a one roomed house can be constructed within these cost limits.

(d) The cost norms for IAY houses are revised from time to time keeping in view the escalation in cost of material, labour etc. The present cost norms of IAY houses have been revised w.e.f. 1.1.1994.

त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक और शैक्षणिक विकास केन्द्र, पथराही को दी गई निधियां

7367. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत "कापार्ट" द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक विकास केन्द्र, पथराही, झंझारपुर (आर०एस०) जिला मधुबनी, बिहार को कुल कितनी राशि दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि "कापार्ट" ने बिहार के सासाराम जिले में काराकठ और डेहरी प्रखंडों में इंडिया मार्क-II चापाकल गाड़ने के लिए 1991 में इस संगठन को सात लाख रुपये से अधिक की राशि दी थी;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत गाड़े गए इंडिया मार्क-II चापाकलों की और इससे लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ङ) इस संगठन द्वारा गाड़े गए चापाकलों की कुल संख्या कतनी है और इनमें से कितनी चापाकल ठीक तरह से काम कर रहे हैं और कितने खराब पड़े हैं; और

(च) क्या सरकार इस तथ्य की जांच कराएगी कि निर्धारित मानदंड न अपनाए जाने के कारण ये चायकाल लगाए जाने के बाद खराब हो गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत कापार्ट द्वारा सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र, पथराही, झंझारपुर, जिला मधुबनी, बिहार को 58.17 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है।

(ख) जी हां, बिहार के सासाराम जिले के काराकट और देहरी प्रखंडों में हैंडपम्पों को लगाने के लिए कापार्ट ने 1991 और 1992 में सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र को 7 लाख से अधिक की राशि संस्वीकृत की है। तथापि,यह राशि स्थानीय पी० एच०-6 हैंडपम्पों को लगाने के लिए न कि इंडिया मार्क-2 हैंडपम्पों को लगाने के लिए संस्वीकृत की गई थी।

(ग) 180 पी०एच०-6 हैंड पम्प लगाए गए हैं और लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 27,000 है।

(घ) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक लगभग 84,750 लाभार्थियों को कवर किया गया है।

(ङ) और (च) सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र द्वारा लगाए गए हैंड पम्पों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

स्थानीय पी०एच०-6	300
इंडिया मार्क-2	159
कुल:	459

अब तक, कापार्ट को इस संगठन द्वारा लगाए गए हैंड पम्पों के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है। तथापि, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्यों के स्तर का मूल्यांकन करने सहित संगठन की कार्य-प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए कापार्ट द्वारा एक जांच समिति गठित की गई है।